# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

क्रमांकःप.8(ग)(    )नियम/डीएलबी/16/7624                    दिनांकः 13/07/16

## आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसके द्वारा परिवहन सेवा आम जन को उपलब्ध करवाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा घोषित रियायतो को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वास्तविक किराये के स्थान पर कई श्रेणियो मे वास्तविक किराये से कम अथवा निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 सपठित धारा 107 (4) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमो, मण्डलो, निगमो के बकाया गृहकर एवं नगरीय विकास कर का निर्धारण संस्थानिक दर पर किया जाना आदेशित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(  )नियम/डीएलबी/16/7625-8025 दिनांकः 13/07/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1.निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,राज. जयपुर।
3. निजी सचिव,निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,राज. जयपुर।
4.महापौर/सभापति /अध्यक्ष,नगरनिगम /परिषद/नगरपालिका बोर्ड समस्त राज.।
5. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6.सचिव राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,जयपुर।
7.निदेशक, स्थानीय निधि अंकक्षेण विभाग, राज.जयपुर।
8. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राज.।
9.आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगरनिगम/परिषद/नगरपालिका बोर्ड समस्त राज.।
10.अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को उक्त आदेश को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
11.प्रभारी,मॉनिटिरिंग सेल को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12.सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी